के लिए मौत लेकर आ रहा है। पंजाब के छोटे-छोटे गाँवों में हर साल कैंसर के 20 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय क्षेत्रों में, अबोहर शहर में सर्कुलर रोड और मुक्तसर जिले में पक्की टिब्बी गाँव शामिल हैं। यह मामला कई सालों से लंबित है और इसका अभी तक कोई प्रभावशाली समाधान नहीं मिला है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जल शक्ति मंत्रालय इसमें दखल दे, जल संसाधन पर संसदीय समिति इस मामले का संज्ञान लेकर पंजाब और राजस्थान को कैंसर से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं। महोदय, आपके अवलोकन के लिए इस विषय पर मैं एक ज्ञापन भी दे रहा हूं।

श्री उपसभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों को एप्रूव्ड टैक्स्ट ही पढ़ना है। The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu: Shri A.A. Rahim (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Madan Rathore (Rajasthan).

Need for protection of tribal land and environment in Udaipur division of Rajasthan

श्री चुन्नीलाल गरासिया (राजस्थान): महोदय, उदयपुर संभाग जनजाति बाहुल्य एवं अति प्राचीन अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि, वनोपज और पशुपालन पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ जनजातीय जमीनों की अवैध तरीके से डमी व्यक्तियों के नाम पर खरीद-फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार यह अवैध है। इसके साथ ही, अरावली पर्वतों की अंधाधुंध कटिंग हो रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उदाहरणस्वरूप उदयपुर के सीसारमा, कोडियत, ढीकली, अंबेरी, चीरवा, उमरड़ा, कैलाशपुरी, डाकन-कोटड़ा, डेडकिया, काया और नोहरा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उदयपुर संभाग के शेड्यूल्ड Vth टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजातीय जमीनों की बेनामी खरीद-फरोख्त रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, ताकि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के ईको-सिस्टम को बचाया जा सके एवं जनजातीय लोगों को उनके हक का लाभ मिल सके। उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri A.A. Rahim (Kerala), associated himself with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Chunnilal Garasiya.

Concern over the practice of exceeding the limit prescribed by the 91st Constitutional amendment

SHRI LAHAR SINGH SIROYA (Karnataka): Sir, as you are aware, as per the 91st Constitutional Amendment in 2003, the total number of Ministers including PM/CM in the Council of Ministers was limited to 15 per cent of the total strength of the Lok